"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक-शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 355] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 अगस्त 2013—श्रावण 21, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्रमांक 6917/डी. 246/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31-07-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 30 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 1 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 1 के खण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 कहलायेगा."

धारा 15 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के खण्ड (ग) में, शब्द "तथा" के पश्चात् तिर्यक चिन्ह एवं शब्द "/या" को विलोपित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्रमांक 6917/डी. 246/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 30 of 2013)

CHHATTISGARH FOOD SECURITY (AMENDMENT) ACT, 2013

An Act to amend the Chhattisgarh Food Security Act, 2012 (No. 5 of 2013).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Food Security (Amendment) Act, 2013. **Short title, extent and commencement.**

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. For clause (1) of Section 1 of the Chhattisgarh Food Security Act, 2012 (No. 5 of 2013) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 1.**

"(1) This Act may be called the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012."

3. In clause (c) of sub-section (4) of Section 15 of the Principal Act, after the word "and" the symbol slash and word "/or" shall be substituted by the word "are". **Amendment of Section 15.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.